न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 7/2020

1.सुगना पुत्र धूला जाति रेगर निवासी अराई जिला अजमेर (फौत)
1/1 राजेन्द्र पुत्र सुगना रेगर निवासी अराई
1/2 रमेश पुत्र सुगना रेगर निवासी अराई

वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र धूला जातिरेगर निवासी ग्राम अराई जिला अजमेर (फौत)
   1/1 रामदीन पुत्र छीतर रेगर निवासी अराई
   1/2 अमरचन्द पुत्र छीतर रेगर निवासी अराई
   1/3 मन्नी पुत्री छीतर पत्नि पूरण रेगर
2. काना पुत्र भूरा रेगर निवासी अराई (फौत)
   2/1 सोजी पुत्र काना
   2/2 बंशीलाल पुत्र काना
   2/3 गुलाब चन्द पुत्र काना
   2/4 शंकर पुत्र काना
   2/5 रामेश्वरी पत्नि काना
3. रामधन पुत्र भूरा रेगर निवासी अराई
4. पदमा पुत्र भूरा रेगर निवासी अराई (फौत)
   4/1 दिनेश पुत्र पदमा रेगर निवासी अराई
   4/2 अनिल पुत्र पदमा रेगर निवासी अराई
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अराई
6. बादाम पुत्री भूरा रेगर निवासी ग्राम अराई

—— प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 151 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक ..19.1.12.1/25

वकील वादी रामदेव गुर्जर

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.3.1991 प्रकरण संख्या 73/88 को छीतर बनाम सुगना के ग्राम दृग्राम अराई स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3130 तथा 3131 कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीधा 12 बिस्वा भूमि में खातेदारी उदघोषणा की डिकी व आदेश पारीत किया एवं विभाजन का निस्तारण हुआ परन्तु पालना नही होने से पत्रावली अजमेर केन्द्रीय अभिलेखाकार अजमेर में भेजना हो गई ततपश्चात प्रार्थी द्वारा न्यायालय में निवेदन कर केन्द्रीय अभिलेखाकार अजमेर से मूल पत्रावली मंगवाई गई एवं इजराइ की कार्यवाही की गई । माननीय राजस्व मण्डल की निगरानी टी0ए0 803/24 राजेन्द्र बनाम रामदीन का निर्णय दिनांक 28.2.2025 की अनुपालना में मूल पत्रावली तलब की गई एवं प्रार्थी वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.2.2024 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया गया कि दिनांक 20.3.1991 में पारीत डिकी व आदेश का अमल कर दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है एवं मौके के अनुसार दिनांक 5.10.23 को मौका पर्चा भी प्राप्त किया गया है ।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अराई के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार एवं पटवार हल्का अराई की मौका रिपोर्ट इजराई की कार्यवाही के तहत पुनः वकील वादी की बहस सुनी गई । आदेश दिये जाते है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 20.3.1991 को पारीत आदेश व डिकी के अनुसार ग्राम अराई के ख0न0 3130 तथा खसरा नं0 3131 की कुल 12 बीधा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्से में छीतर /वारिसान के स्थान पर वादी /वारीसान को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार विभाजन की डिकी पारीत की जाती है । तहसीलदार अराई को राजस्व रिकार्ड में डिकी व आदेशानुसार अमल दरामद करने हेतु आदेश पारीत किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)